न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
108 / 17	13.11.2017	23.04.2018

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)

उनवान

धनराज पुत्र बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी–

बनाम

1. अख्तार हुसैन पुत्र अब्दुल करीम
2. अजीज पुत्र अब्दुल करीम
3. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल करीम
4. अब्दुल खलील पुत्र अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अभिभाषक–

1. श्री आबिद खान :– वकील वादी / प्रतिपक्षी
2. श्री शिवप्रसाद शर्मा:– वकील प्रतिवादी नं0 1 ता 4 / प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की ओर से जरिये विद्वान अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त उनवान में वादी खातेदार नहीं है व निषेधाज्ञा 188 आरटीएक्ट का वाद मात्र खातेदार ही ला सकता है व उक्त भूमि पर प्रतिवादी नं0 4 अब्दुल खलील का कब्जा है, वही उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। उपरोक्त उनवान में वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है, जबकि कानूनन अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा खातेदारी ही नहीं दी जा सकती है, तो ऐसे में उक्त दस्तावेज के आधार पर निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जिससे उक्त वाद खारिज होनें योग्य है। शेष तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जाऐंगे।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि उक्त वाद खारिज फरमानें के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थीगण/प्रतिवादी नं0 1 व 5 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील वादी/प्रतिपक्षी को प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध करवाई गई, वादी/प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर कथन किये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद ख0नं0 895 रकबा 0.03 हे0 बाबत् किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण ख0नं0 895 के खातेदार नहीं है। जिनका वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं ह। उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को समया शीर्षक उद्देश्य से पढा जा सकता है। प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज के आधार पर खातेदारी की घोषणा नहीं चाही गई है। वाद जवाब दावा, साक्ष्य, तनकीयात् से वाद का गुणावगुण पर निर्णित किया जाना शेष है। इसलिए इस स्तर पर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित है। अन्य तथ्य बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वाद के क्रम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पर उभय पक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि वादी द्वारा वाद धारा 188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। धारा 188 आरटीएक्ट का वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। अतः दावा कानून से बाधित है। वादी को धारा 88 के तहत दावा लाना चाहिए था। सिविल कॉर्ट में भी वादी द्वारा पालना का दावा कर रखा है। विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनें कथनों के समर्थन में RRT 2017 (2) Page No. 1100, RRT 2009 (1) Page No. 638 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

वकील वादी/प्रतिपक्षी नें दौरानें बहस कथन किये कि मेरें द्वारा धारा 88 आरटीएक्ट में खातेदारी नहीं चाही गई है। केवल स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है। विवादित आराजी ख0नं0 895 का प्रतिवादी खातेदार नहीं है। मेरें द्वारा इकरारनामा से खरीदी गई भूमि पर कब्जा कर परेशान करना चाहते है।

Scanned by CamScanner

बहस रिपीटल में विद्वान वकील प्रार्थीगण ने कथन किये कि विवादित भूमि रामपाल द्वारा मुकेश नायक को दिनांक 03.05.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान की गई। मुकेश नायक ने दिनांक 17.10.2015 को अब्दुल खलील को जरिये इकरारनामा से बैचान कर दी।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, वादपत्र में अंकित तथ्य, वादपत्र का आलम्बन, वॉच्छित अनुतोष, प्रतिवादी नं0 1 व 5 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य आदि का एवं बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली का सम्यक अनुशीलन तथा प्रकरण के गुणावगुण पर समुचित मनन के उपरान्त हम यह पाते है कि वादी धनराज द्वारा प्रकरण में ख0नं0 895 रकबा 0.03 हे0 भूमि वाके ग्राम सुल्तानपुर पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनें हेतु प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन उपरान्त यह तथ्य प्रकट एवं प्रमाणित है कि वादी वर्तगान में विवादित आराजी का खातेदार नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में रामपाल पुत्र किशनलाल की खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये इकरारनामा क्रय करनें के सम्बन्ध में इकरारनामा प्रस्तुत किया है। जवकि प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.03.2015 से विवादित आराजी खातेदार रामपाल द्वारा मुकेश नायक पुत्र लटूरलाल को बैचान करना प्रमाणित है। मुकेश नायक द्वारा उक्त भूमि जरिये इकरारनामा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बैचान की है। उक्त बैचान मात्र इकरारनामा के आधार पर किया गया है तथा वादी को भी विवादित आराजी का बैचान जरिये इकरारनामा ही किया गया है, जिसकी कोई विधिक मान्यता नही है।

वादी द्वारा अपनें वाद पत्र में इकरारनामा के आधार पर धारा 188 आरटीएक्ट के अन्तर्गत रिलीफ चाही गई है। किन्तु आरटीएक्ट की धारा 188 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मनन करनें के उपरान्त हम यह पाते है कि धारा 188 आरटीएक्ट में रिलीफ प्राप्ति हेतु खातेदार होना परम आवश्यक है, खातेदार आसामी ही स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ प्राप्त कर सकता है। वादी वर्तमान में विवादित आराजी का खातेदार आसामी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को धारा 188 आरटीएक्ट के तहत रिलीफ दिया जाना संभव नहीं है। मात्र इकरारनामा के आधार पर वादी को कोई अधिकार विवादित आराजी में प्राप्त नहीं हो जाते है। मात्र इकरारनामा के आधार पर इस न्यायालय से रिलीफ प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRT 2017 (2) Page No. 1100 में प्रतिपादित किया है कि "Code of Civil Procedure, 1908-Order 7 Rule 11- Rejection of plaint-Suit filed on the basis of unregistered sale deed & also on the ground of adverse possession-Suit is barred by law & not maintainable- Held, Suit dismissed."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त दृष्टान्त के प्रकाश में मनन करनें के उपरान्त यह तथ्य प्रमाणित है कि अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दावा कानूनन बाधित है। जबकि वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड इकरारनामा बाबत् बैचान के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा अपनें वादपत्र में धारा 188 आरटीएक्ट के तहत रिलीफ चाही गई है, न कि धारा 88 आरटीएक्ट के तहत घोषणा चाही है।

माननीय न्यायालयों के प्रकाश में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र पर विधिक विचारण उपरान्त वादी प्रस्तुत वादपत्र में वांछित रिलीफ को प्राप्त करनें का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है।

वादी के वादपत्र , वादपत्र में अंकित तथ्य, वादपत्र का आलम्बन, वॉच्छित अनुतोष, प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य आदि के सम्यक अनुशीलन तथा प्रकरण के गुणावगुण पर समुचित मनन के उपरान्त हम यह पाते है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य है।

अतः **प्रार्थीगण** (प्रतिवादी नं0 1 ता 4) **द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है।** वाद वादी खारिज़ किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मि0नं0 108/2017 में संलग्न की जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 23/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

फाईनल डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपाल मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

धनराज पुत्र बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी–

बनाम

1. अख्तर हुसैन पुत्र अब्दुल करीम
2. अजीज पुत्र अब्दुल करीम
3. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल करीम
4. अब्दुल खलील पुत्र अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण–

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

वाद कमांक– 108/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु मुझ तारामती वैष्णव आर0ए0एस0 बहाजिरी श्री आबिद खान एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुददालयह श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " **प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 1 ता 4) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है।** वाद वादी खारिज़ किया जाता है। " तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।
मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.04.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner